

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति
की अंतिम तिथि-21.08.2017

विज्ञापन संख्या-17/2017

सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति परीक्षा।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1908 दिनांक 29.09.2016 सह पठित पत्रांक-341A दिनांक-23.02.2017 द्वारा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय) के प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में **Online** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

1. (i) पद का नाम- प्रधानाध्यापक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय (राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy				
			Women	Handicapped			
				Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	5	6	7	8	9
i	Unreserved	334	33	13	07	07	07
ii	SC	67					
iii	ST	174					
iv	BC-I	53					
v	BC-II	40					
Total of (i) to (v)		668	33	13	07	07	07

नोट :- 1. कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. अनुसूचित जनजाति के लिए संसूचित कुल 174 पदों में से 03 पद आदिम जनजाति हेतु क्षैतिज रूप से आरक्षित है।

2. वेतनमान — PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay – 5,400) अपुनरीक्षित
 3. पद — स्थायी
 4. परीक्ष्यमान अवधि — 3 (तीन) वर्ष

5. अनिवार्य योग्यता :-

(क) शैक्षणिक योग्यता:- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य अथवा केन्द्र सरकार के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य होगी।

(ख) तकनीकी योग्यता :- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि-17.08.1995 के पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० डिग्री अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित डिग्री।

6. वांछनीय योग्यता :- Computer Application की जानकारी हो।

7. अनुभव :- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संगठन द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत संचालित प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्षों का न्यूनतम शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला के मामले में न्यूनतम 7 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य माना जायेगा। अनुभव की गणना विज्ञापन जारी होने की तिथि 16.07.2017 के आधार पर की जायेगी।

8. उम्र गणना की तिथि:- परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि 01.01.2017 होगी। न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु निम्न सारणी अनुसार होगी :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	शारीरिक रूप से अक्षम
1.	अनारक्षित	50 वर्ष	55 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II	52 वर्ष	57 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II)	53 वर्ष	58 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	55 वर्ष	60 वर्ष

नोट:- परीक्षाफल प्रकाशन के पूर्व यदि अभ्यर्थी की उम्र वार्धक्य सेवा पूरी हो जाय तो वैसे अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।

9. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) लिखित परीक्षा के दो पत्र बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective type multiple choice) होंगे। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	समय
1.	प्रथम पत्र :- सामान्य ज्ञान की परीक्षा	200 अंक	03 घंटे
2.	द्वितीय पत्र :- जिस विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उस विषय की परीक्षा	300 अंक	03 घंटे

नोट:- उक्त परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से जारी किया जायेगा जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

- (ख) उक्त दोनों प्रश्न-पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (ग) दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परंतु दोनों प्रश्न पत्रों में योग के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।
10. (i) निःशक्त/दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि में प्रत्येक 1 घंटे पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।
- (ii) जैसे निःशक्त अभ्यर्थी जिन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब सुविधा की आवश्यकता है उन्हें परीक्षा तिथि के तीन दिन पूर्व परीक्षा के केन्द्रधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (iv) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12 वीं कक्षा अथवा इण्टरमीडिएट (50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो) से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।
11. **आरक्षण का लाभ :-**
- (क) **ऑनलाइन (Online)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा नियोजन हेतु निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**
- (ग) **(i)** झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।
- (ii)** झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) एवं पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र एवं नियोजन हेतु निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

- (घ) दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत श्रृंगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। (विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है)
- (ङ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

- (च) **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-12165 दिनांक-31.10.2012 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:-**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक-08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेंज) दिनांक-01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा, अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रियायत प्रदान कर की जाती है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध ही सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।

- (छ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी के चयन की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते, तो इन्हें क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

11. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)/पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) कोटि के उम्मीदवारों को रू0 600 (छह सौ) + बैंक चार्ज मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रू0 150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
- (iii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

12. आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया एवं अन्य अनुदेश :-

- (क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ख) प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ग) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. 0651-2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (घ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (ङ) हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

- (च) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।
- (छ) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे।
- (ज) अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001** के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम उद्धृत करना आवश्यक होगा।

- (i) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अथवा समकक्ष),
- (ii) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (iii) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (iv) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
- (v) बी० एड० प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
- (vi) सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र,
- (vii) सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र,
- (viii) सक्षम प्राधिकार से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र,
- (ix) खेलकूद कोटा के उम्मीदवारों के लिए कंडिका-11(ड) के अनुसार प्रमाण पत्र (यथा लागू)।

नोट :- आवश्यकतानुसार आवेदक से मूल अभिलेख/दस्तावेज की माँग किये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (झ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ञ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ट) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (ठ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period.
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक— 22.07.2017 से 21.08.2017 अपराह्न 06:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक—22.08.2017 से दिनांक—25.08.2017 रात 06:00 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छाप प्रति (कंडिका-12(ज) के अनुसार) आयोग कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक- **05.09.2017** शाम **06:00** बजे तक है।

(घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।